


**फर्द अहकाम**  
 कालूराम बनाम गोपी व ऊक

34/2020 (ली. भा. सं.)

आज्ञा या बाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/24	<p><del>पगावली पेडा उठे। प्राथीगण नद अधिवक्ता अनुपस्थित। प्राथीगण व प्राथीगण अधिवक्ता को न्यायालय नमद रुकावट तक कार कार भावाज लावाइ गई। कार कार भावाज लगावत से उपरान्त को प्राथीगण नद अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।</del></p> <p>पगावली का अतल्लेखन सिद्धागवा। पगावली वाय कादरी दिनांक 30.09.20 के कुम में काज दिनांक तक की तलकी कप्राथीगण हेतु तथा प्र. पा कायम मुफ्त मालक कप्राथीगण 27, 38, 43, 44 हेतु सिद्ध है। जिसे कार कार प्राथीगण को किराने अवतर सिद्धागवा टहन से अहांत की प्राथीगण द्वारा अधिष्ठित वर्धवादी प्रस्तुत नहीं की गई है। इत प्रकार स्वयं के ही प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं के ही स्तर पर अधिष्ठित वर्धवादी प्रस्तुत रखी जाती रही है तथा काज सिद्ध तारीख चरी पर अनुपस्थित है।</p> <p>अतः प्राथीगण का प्रार्थनापत्र ली. भा. सं. ऊकम हाजरी ऊकम परकी में खातिर सिद्धागवा है।</p> <p>पगावली/मैतल शुभाट होकर इज नमकर से कम है। काय तलकील शक्तिल दफतर है।</p>	<p align="right">   <b>कायम कर्मचारी (फास्ट ट्रेक)</b>              न्यायालय-जयपुर         </p>

